न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–श्री देवेन्द्र कुमार,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या–185/2026

GCMS No.- 2026/196

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		श्री दिलीप प्रजापति पुत्र राजेश प्रजापति (कर्मचारी) मॉर्डन बेकरी, गंगाप्रसाद पेट्रोलपम्प के पास, मेड़तासिटी, तहसील मेड़ता व जिला नागौर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक।
2. अप्रार्थी बावजूद तामिल अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 06.05.2026

राजस्थान सरकार जरिये श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद अधिकारी कार्यालय, नागौर ने यह प्रार्थना–पत्र गैर सायल के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत पेश कर प्रकरण में जब्त सुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस को समपहरण (Confiscation) के आदेश दिए जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया। गैर सायल का नोटिस जरिये डाक तामिल होने के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से गैर सायल के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का बहस में कथन है कि दिनांक 19.03.2026 को श्री रामनिवास बेरवाल, श्री ओमेन्द्र कुमार व श्री बजरंग प्रवर्तन निरीक्षकगण मय पुलिस जाप्ता द्वारा मॉर्डन बेकरी, गंगाप्रसाद पेट्रोलपम्प के पास, मेड़तासिटी पर पहुंचे। मौके पर अप्रार्थी श्री दिलीप प्रजापति पुत्र राजेश प्रजापति उपस्थित मिले, जिन्होनं स्वयं को उक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान का कर्मचारी होना जाहिर किया। मौके पर उक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को गैस भट्टी से जोड़ा जाकर एल.पी.जी. को ईधन के रूप में कार्य लिया जाकर खाद्य सामग्री, चाय, कॉफी का निर्माण किया जाना पाया गया। मौके पर तलाशी लेने पर उक्त होटल पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर बिना उपयोग के रखा पाया गया। इस प्रकार मौके पर पाये गये उक्तानुसार कुल 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग, भण्डारण के दस्तावेज मांगे जाने पर उक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान के कर्मचारी अप्रार्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये गये। उक्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान के कर्मचारी अप्रार्थी का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन पाये जाने पर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

मौके पर पाये गये 01 घरेलू गैस का भरा हुआ एवं 01 घरेलू गैस का खाली सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया गया। उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों की तलपट्टी निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	एस.आर. नम्बर	नाम कम्पनी	भरे हुए सिलेण्डर का वजन (किलोग्राम में)	खाली सिलेण्डर का वजन (किलोग्राम में)	शुद्ध गैस का वजन (किलोग्राम में)	विशेष विवरण
1	17463-S	BPCL	15.7	15.7	0.0	--
2	ERROR	BPCL	23.0	16.2	6.8	--

उपर्युक्त जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को मौके पर ही श्री प्रहलादसिंह पुत्र तेजसिंह निवासी रासलियावास तहसील रियांबड़ी हाल मैसर्स चारभुजा भारत गैस, गैस ऐजेन्सी के प्रतिनिधि को सुरक्षा एवं साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखने की दृष्टि से न्यायालय से निर्णय होने तक सुपुर्द किये गये।

इस प्रकार अप्रार्थी का उक्त कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से गैर सायल द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग बिना किसी आवश्यक दस्तावेजों के किया जा रहा है। प्रकरण में प्रस्तुत फर्द पर गैर सायल स्वयं के हस्ताक्षर है। गैर सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जबाब पेश नहीं किया है। इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्य सही होने से प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है तथा गैर सायल द्वारा बिना किसी विधिक दस्तावेजों के इन गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 की धारा 3, 6 व 7 के खण्ड 1 का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त शुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) किया जाकर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, नागौर को आदेश दिया जाता है कि जब्त शुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किया जावे। राशि राजकोष में जमा करवायी जावे। यह राशि राजकीय घोषित की जाती है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, नागौर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
कलक्टर नागौर
जिला कलक्टर,
नागौर